



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24062024-254889
CG-MH-E-24062024-254889

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2304]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 22, 2024/आषाढ 1, 1946

No. 2304]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 22, 2024/ASHADHA 1, 1946

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 21 जून, 2024

का.आ. 2424(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (II) तारीख 17 फरवरी 2024 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांख का. आ. 769(अ) तारीख 16 फरवरी 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, "बारामती (पुणे) - लोनंद वाया फलटन नई ब्रॉड गेज लाइन" परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों में उपविभागीय अधिकारी फलटन द्वारा, "दैनिक गंधवार्ता" (मराठी), "दैनिक सांजवात" (मराठी) में तारीख 13 मार्च 2024 को प्रकाशित किया गया था।

और, फलटन तालुका के 04 गावों में कोई भी उद्देश्य से संबंधित आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सातारा जिले में तालुका फलटण के अंतर्गत 01 गाव का, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपविभागीय अधिकारी फलटण के अधीन विशेष रेल परियोजना बारामती (पुणे) - लोनंद वाया फलटन नई ब्रॉड गेज लाइन के अंतर्गत बारामती (पुणे) - लोनंद वाया फलटन के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण ।

अ.क्र.	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	७/१२ अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भूधारणा पद्धति	७/१२ अनुसार कुल क्षेत्र (हे. आर)	संपादन क्षेत्र (हे. आर)
1	09/23	खुटे	फलटण	रेखा गोरखनाथ खलाटे संग्राम गोरखनाथ खलाटे उदयसिंह गोरखनाथ खलाटे	490	1	1.2100	0.3000
2	09/23	खुटे	फलटण	ललिताबाई विठ्ठल खलाटे त्रिंबक यशवंत खलाटे सुभाष यशवंत खलाटे संजीवनी सुरेश ननवरे मयूर विठ्ठल खलाटे शुभांगी विठ्ठल खलाटे	189	1	0.7300	0.0100
3	09/23	खुटे	फलटण	आशिष प्रविण खलाटे प्रविण रामचंद्र खलाटे सुधीर रामचंद्र खलाटे ऋषिकेश सुधीर खलाटे अपाक वडिल सुधीर ऋषिकेश सुधीर खलाटे	124	1	2.0100	0.0200
						कुल	3.9500	0.3300

[फा. सं. G197/2024/GOM/ Baramati-Lonand/June/20E]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st June, 2024

S.O. 2424(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 769 (E) dated the 17th February 2024 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 16th February 2024 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sun-section (1) of section 20 (A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely

BARAMATI – LONAND VIA PHALTAN NEW BROAD-GAUGE LINE Project in the district of Satara in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily News Papers “Dainik Gandhawarta” (Marathi), “Dainik Sanjwat” (Marathi) on 13th March 2024 by SDO Phaltan under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, in 04 villages of Phaltan Taluka No any objections related to the purpose received;

And whereas, in pursuance of sub-section 20 E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project “BARAMATI – LONAND VIA PHALTAN NEW BROAD-GAUGE LINE” in 01 villages of Phaltan Taluka under the Competent Authority for Land Acquisition and Sub-Divisional Officer, Phaltan of district Satara in the State of Maharashtra.

Sr. No.	LAQ Case No.	Village Name	Sub-Division (District)	Name of Land Holder(s) as per 7/12	Survey/ Gat No.	Land Tenure System	Total Area as per 7/12 (Ha)	Approx. Land to be Acquired (Ha)
1	09/23	Khunte	Phaltan (Satara)	Rekha Gorakhnath Khalate Sangram Gorakhnath Khalate Udai Singh Gorakhnath Khalate	490	1	1.2100	0.3000
2	09/23	Khunte	Phaltan (Satara)	Lalitabai Vitthal Khalate Trimbak Yashwant Khalate Subhash Yashwant Khalate Sanjeevani Suresh Nanavare Mayur Vitthal Khalate Shubhangi Vitthal Khalate	189	1	0.7300	0.0100
3	09/23	Khunte	Phaltan (Satara)	Ashish Pravin Khalate Pravin Ramchandra Khalate Sudhir Ramchandra Khalate Rishikesh Sudhir Khalate Apak Vadil Sudhir Rishikesh Sudhir Khalate	124	1	2.0100	0.0200
						Total	3.9500	0.3300

[F. No.: G197/2024/GOM/ Baramati-Lonand/June/20E]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)